कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,जिला न्यायालय धार (म.प्र.)

दूरभाष क्र.–07292–299115 E-mail ID – dlsadhar@gmail.com

क्रमांक / LADCS / जि.वि.से.प्रा. / 2319 / 2025 धार दिनांक 27–12–2025

//सार्वजनिक सूचना//

चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल/डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल/ असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नवीन भर्ती प्रकिया निरस्त की गई।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम–2022 एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक फा.न. 97/LADCS/MPSLSA/2114/2025 जबलपुर दिनांक 06.08.2025 द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुपालन में जिला मुख्यालय धार पर क्रियान्वित लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना के अंतर्गत 01 पद चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, 02 पद डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं 03 पद असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति किये जाने हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक 2208 दिनांक 11.12.2025 जारी किया गया था।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक 36687/2025 रामकिशन सोनी एवं अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य संबंधित याचिकाओं में दिनांक 18.12.2025 को आदेश पारित किया गया है। उक्त भर्ती विज्ञप्ति मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल की भर्ती के संबंध में पत्र क्रमांक फा.न.97/LADCS/MPSLSA/2114/2025 जबलपुर दिनांक 06.08.2025 द्वारा जारी नवीन एस.ओ.पी. के अनुपालन में जारी की गई थी। उक्त एस.ओ.पी. को माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। साथ ही म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर का पत्र क्रमांक 3969/2025 दिनांक 26.12.2025 द्वारा दिनांक 06.08.2025 को जारी एस.ओ.पी. को निरस्त किया गया है। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना अंतर्गत संविदा आधार पर चीफ/डिप्टी चीफ/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चयन हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 2208/2025 दिनांक 11.12.2025 को निरस्त किया जाता है।

(माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

27/12/25

(प्रदीप सोनी)
सचिव
जि.वि.से.प्रा. धार (म.प्र.)